

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार साहब,
.....



हरियाणा ई-सेवा
Haryana e-Seva

विषय: हरियाणा रिहायशी प्रमाण- पत्र बनवाने बारे।

श्रीमानजी,

1. निवेदन है कि मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी गाँव तहसील जिला (हरियाणा) का
जन्म से या 15 वर्षों से भी ज्यादा का स्थाई निवासी हूँ तथा अपना रिहायशी मकान तथा पैत्रिक
सम्पत्ति है।
2. यह है कि मैं भारत का नागरिक हूँ।
3. यह है कि मैंने या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य ने अन्य किसी भी जगह से रिहायशी प्रमाण पत्र
नहीं बनवाया है।
4. यह है कि मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र की
आवश्यकता है। मेरी पुत्री अविवाहित है तथा मेरे साथ जन्म से रहती है।
5. अतः रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

प्रार्थी

नाम.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

मोबाईल नं.

पता.....

तसदीक की जाती है कि प्रार्थी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी गांव तहसील जिला का जन्म से या 15 सालों से
ज्यादा का स्थाई निवासी है। और श्री/कुमार/कुमारी प्रार्थी का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी
है, तथा विवाहित/अविवाहित है तथावर्षों से या जन्म से ही प्रार्थी के साथ रहता/रहती है। मैं प्रार्थी
को जाति तौर पर जानता हूं। प्रार्थना- पत्र में लिखे तथ्य सही है।

नम्बरदार

तसदीक की जाती है कि प्रार्थी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी गांव तहसील जिला का जन्म से या 15 सालों से
ज्यादा का स्थाई निवासी है। और श्री/कुमार/कुमारी प्रार्थी का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी
है, तथा विवाहित/अविवाहित है तथावर्षों से या जन्म से ही प्रार्थी के साथ रहता/रहती है। मैं
प्रार्थी को जाति तौर पर जानता हूं। प्रार्थना- पत्र में लिखे तथ्य सही है।

सरपंच

मैं तसदीक करता हूं कि प्रार्थी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी गांव तहसील जिला का जन्म से या 15 सालों से
ज्यादा का स्थाई निवासी है। और श्री/कुमार/कुमारी प्रार्थी का
पुत्र/पुत्री/पत्नी है, तथा विवाहित/अविवाहित है। प्रार्थी का उपरोक्त पते पर अपना मकान है तथा
पैत्रिक सम्पत्ति है। प्रार्थी का नाम राशन/आधार कार्ड नं पर क्रम सं.
..... दर्ज है तथा प्रार्थी का मतदाता पहचान पत्र नं. है। प्रमाण- पत्र जारी
किया जाना उचित है। रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हल्कापटवारी

मैंने प्रार्थी के प्रार्थना- पत्र की जांच करली है। तथा सभी रिपोर्ट साथ सलग्न दस्तावेजों को भी देख लिया है।
सरकार की हिदायत के अनुसार सही है। प्रार्थी को प्रमाण- पत्र जारी किया जाना उचित है।

प्रमाण पत्र क्लर्क

उपरोक्त अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाए व रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

तहसीलदार

प्रमाण-पत्र क्रमांक दिनांकको जारी किया गया।

SELF-DECLARATION

I S/o, D/o, W/o Sh.
Resident ofTehsil, Distt.,
Haryana do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I/My son/Daughter/Wife/ have applied to the Tehsildar for obtaining the Haryana Residence certificate.
2. That I am permanent resident of the above address from last 15 years.
3. That I/ My son/ Daughter/Wife have not get the benefit of residence certificate from other state.
4. That please issue Haryana Residence Certificate to me on above address.
5. That my said son/daughter is married/unmarried.

Deponent

Verification:-

That the above statement is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there in.

Deponent

सरपंच,
ग्राम पंचायत